कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 2994 /FP/UK/ROAD/149153/2021 दिनॉकःदेहरादूनः 14 जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय– जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराड़ी गांव प्रा0वि0 ठठौली सस्पौड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–5340/12–1(2) दिनांक 02–06–2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–A¼x½ में वन भूमि कितने वर्षो हेतु पर्त्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में CA Rate वर्तमान दर के अनुसार अंकित नहीं किया गया है। कृपया वर्तमान दर के अनुसार संशोधित CA Scheme ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–B2.4 में Component wise breakup की सूचना सही नहीं भरी गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–D(i) में परियेाजना का औचित्य (Justification) प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं किया गया है। कृपया परियेाजना का औचित्य (Justification) प्रमाण–पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे जाने वाले पैरा–E में परियोजना निर्माण कितने पदों का सृजन होना है, इसकी सूचना नहीं भरी गयी है। उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना अपलोड़ करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1–42(III) दिनांक 22–02–2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये **(प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर) कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्याः–2994 /FP/UK/ROAD/149153/2021 दिनॉकित।

1. प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि **प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**
2. प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक